माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 879 / /प्रशा0/MSU/2025–26 दिनांक : 04-08-25

सेवा में,

01. प्राचार्य/प्राचार्या
    समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

02. समन्वयक शैक्षणिक
    विश्वविद्यालय परिसर

विषयः "हर घर तिरंगा कार्यक्रम–2025" के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–1999/सत्तर–3–2025, दिनांक 02 अगस्त, 2025 के साथ संलग्न मुख्य सचिव, संस्कृति अनुभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–276/2025/जी0आई0–24/चार–2025, दिनांक 01 अगस्त, 2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि हर घर तिरंगा (HGT) अभियान को वर्ष 2022, 2023 और 2024 के दौरान, 15 अगस्त को पूरे देश में घरों, कार्यालयों, संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर प्रमुखता से तिरंगा फहराकर, सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया। उक्त क्रम में पूरे देश में दिनांक 02 अगस्त से 15 अगस्त, 2025 की अवधि में तीन चरणों में "हर घर तिरंगा कार्यक्रम–2025" आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–1999/सत्तर–3–2025, दिनांक 02 अगस्त, 2025 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 02 अगस्त से 15 अगस्त, 2025 की अवधि में चरणवार व्यापक जन सहभागिता से "हर घर तिरंगा कार्यक्रम–2025" के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीय,
4-8-25
(कमल कृष्ण)
का0 कुलसचिव

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति महोदया के सूचनार्थ।
02. मुख्य सचिव, संस्कृति अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
03. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
04. परीक्षा नियंत्रक।
05. वित्त अधिकारी।
06. उपकुलसचिव।
07. समस्त सहायक कुलसचिव।
08. समन्वयक राष्ट्रीय सेवा योजना को इस आशय से प्रेषित कि समन्वयक शैक्षणिक से समन्वय स्थापित करते हुये विश्वविद्यालय परिसर में "हर घर तिरंगा कार्यक्रम–2025" आयोजित कराना सुनिश्चित करें साथ ही विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई को उक्त कार्यक्रम हेतु प्रोत्साहित करने हेतु प्रेरित करना सुनिश्चित करें।

सहायक कुलसचिव

महत्वपूर्ण/समयबद्ध
संख्या- 1227/सत्तर-3-2025

प्रेषक,

प्रेम कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक,**
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
प्रयागराज।

2. **कुलसचिव,**
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

3. **समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,** उ0प्र0।

4. **विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी**, राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 02 अगस्त, 2025

विषय: 'हर तिरंगा कार्यक्रम-2025'' के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-276/2025/जी0आई0-24/चार-2025, दिनांक 01.08.2025 (छायाप्रति संलग्न), का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि हर घर तिरंगा (HGT) अभियान को वर्ष 2022, 2023 और 2024 के दौरान, 15 अगस्त को पूरे देश में घरों, कार्यालयों, संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर प्रमुखता से तिरंगा फहराकर, सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया। उक्त क्रम में पूरे देश में दिनांक 02 अगस्त से 15 अगस्त, 2025 की अवधि में तीन चरणों में 'हर घर तिरंगा अभियान 2025' आयोजित करने का निर्णय लिया है।

2- इस सम्बन्ध में दिनांक 02 अगस्त से 15 अगस्त, 2025 की अवधि में चरणवार व्यापक जन सहभागिता से उक्त संदर्भित पत्र के निर्देशानुसार व्यापक जनसहभागिता से 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं :-

1- प्रथम चरण-(दिनांक 02-08 अगस्त, 2025) -

i. स्कूलों की दीवारों और बोर्डों को तिरंगा से प्रेरित कला से सजाना।

ii. संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई प्रदर्शनियाँ (वेबसाइट www.harghartiranga.com से डाउनलोड कर उपलब्ध) का प्रदर्शन मुख्य कार्यक्रमों के दौरान एवं शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी भवनों आदि चिन्हित स्थानों पर किया जाना।

iii. स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक स्थानों आदि पर तिरंगा रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन।

iv. तिरंगा राखी बनाने की कार्यशालाएँ और प्रतियोगिताएँ आयोजित करना तथा सैनिकों और पुलिसकर्मियों को 'आभार पत्र' लिखकर 'डाक विभाग के समन्वय से राखियाँ भेजना।

v. सार्वजनिक स्थानों/बाज़ारों को तिरंग रंगों को प्रदर्शित करने के लिए तिरंगे धागों युक्त 'तिरंगा बुनाई और धागे की गतिविधि का आयोजन करना।

II-द्वितीय चरण (दिनांक 09 से 12 अगस्त 2025)

i- वृहद आयोजन -

(1) द्वितीय चरण में तिरंगा महोत्सव' के रूप में एक बडा आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक ही दिन वृहद 'तिरंगा मेला' और 'भव्य तिरंगा म्यूज़िकल कॉसर्ट' आयोजित किया जाना।

(2) प्रदेश स्तरीय 'तिरंगा महोत्सव' का आयोजन किसी 'प्रमुख स्थल' पर व्यापक जनभागीदारी के साथ किया जाए। कार्यक्रम का नेतृत्व माननीय राज्यपाल जी/माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। इस कार्यक्रम में स्थानीय माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों एवं खिलाडियों क़ी उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी।

(3) 'तिरंगा महोत्सव' आयोजित किए जाने वाले प्रमुख स्थल पर 'तिरंगा मेला' का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें प्रदेश सरकार के 'ग्रामीण विकास विभाग के 'स्वयं सहायता समूह' द्वारा निर्मित उत्पाद तथा 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के सहयोग से निर्मित उत्पादों 'स्थानीय उत्पादों' (ODOP), तिरंगा रंग की थीम वाली वस्तुओं (खाद्य सामग्री / परिधान / वस्त्र / श्रृंगार सामग्री आदि) की बिक्री पर केन्द्रित तिरंगा मेला (सरस मेले के समान) का आयोजन किया जाना।

(4) 'तिरंगा मेला' में 'तिरंगा प्रदर्शनी' का प्रदर्शन भी किया जाना।

(5) वेवसाइट www.harghartiranga.com पर सेल्फी अपलोड करने के लिए 'HGT सेल्फी बूथों' को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना और उचित ब्रांडिंग के साथ सुविधा प्रदान करना।

(6) वीआईपी कार्यक्रम के दिन, व्यापक जनभागीदारी के साथ, प्रसिद्ध और स्थानीय कलाकारों द्वारा देशभक्तिपूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ भव्य 'तिरंगा संगीत कार्यक्रम 'का आयोजन किया जाना।

ii-प्रदेश के गृह विभाग/पुलिसकर्मियों, अर्धसैनिकवलों, एन०सी० सी०, एन०एस०एस०, सिविल डिफैन्स, होमगार्ड्स एवं खेल विभाग आदि के सहयोग से 'तिरंगा बाइक रैली और/या तिरंगा साइकिल रैली' का आयोजन किया जाना।

iii - तिरंगा रैलियों/यात्राएँ: वृहद तिरंगे कपड़े के साथ तिरंगा रैलियों यात्राओं का आयोजन किया जाना। ये आयोजन सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों ब्लॉकों और पंचायतों में आयोजित किए जाएँगे जिनमें स्कूली बच्चों, युवाओं और समाज के सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। इस हेतु रिकॉर्ड बनाने के प्रयास किए जाएं।

iv - तिरंगा और उससे सम्बन्धित वस्तुओं आदि की विक्री को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करते हुए स्थानीय बाज़ारों में सौंदर्यपरक तिरंगा प्रकाश और सजावट किया जाना।

v- प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों, पी०डी०एस० दुकानों, खादी भंडारों और स्थानीय बाज़ार के वस्वालों आदि के माध्यम से तिरंगा की बिक्री और वितरण का प्रबंधन किया जाना।

vi- सूचना विभाग के माध्यम से समस्त विभिन्न प्रकार के माध्यमों से प्रचार-प्रसार की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

III - तृतीय चरण (दिनांक 13-15 अगस्त, 2025)

दिनांक 13 से 15 अगस्त 2025 के मध्य सभी शासकीय भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, होटलों, कार्यालयों, वॉधों, पुलों आदि पर ध्वजारोहण समारोह और तिरंगा प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नागरिकगण को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे वेवसाइट www.harghartiranga.com पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तैदव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) निजी सचिव, मा0 मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
(2) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
(3) कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
(4) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(5) निजी सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(6) निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

NJAVG.O

संख्या-276 /2025/ जी0आई0-24/चार-2025

प्रेषक,

एस.पी. गोयल
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संस्कृति अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 01 अगस्त, 2025

विषयः 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम-2025।

महोदय/महोदया,

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या डीओ-42-22/119/2022-AKAM(Pt.II) दिनांक 25 जुलाई, 2025 में उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार ने "आज़ादी का अमृत महोत्सव" के तत्वावधान में 2022 में हर घर तिरंगा (HGT) अभियान शुरू किया था। इस अभियान का उद्देश्य नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने और तिरंगे के साथ व्यक्तिगत और भावनात्मक सम्बन्ध बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। पिछले कुछ वर्षों में, यह राष्ट्रीय अस्मिता, देशभक्ति और गौरव के जन-भागीदारी आंदोलन के रूप में एक सफल अभियान बन चुका है।

2. इस हर घर तिरंगा (HGT) अभियान को वर्ष 2022, 2023 और 2024 के दौरान, 15 अगस्त को पूरे देश में घरों, कार्यालयों, संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर प्रमुखता से तिरंगा फहराकर, सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया। तिरंगे के साथ सेल्फी, प्रभात फेरी, तिरंगा रैलियाँ (बाइक और साइकिल रैलियों सहित), तिरंगा प्रदर्शनियाँ, और अन्य जमीनी स्तर की जन-भागीदारी जैसी गतिविधियों ने 'स्वतन्त्रता दिवस समारोह' को देशभक्ति से भरपूर और देश भर में व्यापक रूप से मनाया जाने वाला उत्सव बना दिया है। यह अभियान जनता के लिए उन स्वतन्त्रता सेनानियों और सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक विशेष अवसर भी है, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा और तिरंगे के सम्मान में अपने प्राणों की आहुति दी है।

3. इसी भावना को जारी रखते हुए संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार (राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति द्वारा 24 जुलाई, 2025 को अनुमोदित) के सर्कुलर के अनुसार क्रियान्वित किए जाने हेतु पूरे देश में दिनांक 02 अगस्त से 15 अगस्त 2025 की अवधि में तीन चरणों में 'हर घर तिरंगा अभियान 2025' आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह चरण निम्नानुसार हैं:-

(1) प्रथम चरण – दिनांक 02 अगस्त से दिनांक 08 अगस्त 2025 तक ।

(2) द्वितीय चरण - दिनांक 09 अगस्त से दिनांक 12 अगस्त 2025 तक ।
(3) तृतीय चरण - दिनांक 13 अगस्त से दिनांक 15 अगस्त 2025 तक ।

4. उपर्युक्त अवधियों में हर घर तिरंगा (HGT) 2025 के अन्तर्गत चरण वार सम्पादित की जाने वाली गतिविधियों का विवरण निम्नवत है-

I- प्रथम चरण – (दिनांक 02 - 08 अगस्त 2025) -

i. स्कूलों की दीवारों और बोर्डों को तिरंगा से प्रेरित कला से सजाना
ii. संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई प्रदर्शनियाँ (वेबसाइट www.harghartiranga.com से डाउनलोड कर उपलब्ध) का प्रदर्शन मुख्य कार्यक्रमों के दौरान एवं शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी भवनों आदि चिन्हित स्थानों पर किया जाना।
iii. स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक स्थानों आदि पर तिरंगा रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन।
iv. तिरंगा राखी बनाने की कार्यशालाएँ और प्रतियोगिताएँ आयोजित करना तथा सैनिकों और पुलिसकर्मियों को 'आभार पत्र' लिखकर 'डाक विभाग' के समन्वय से राखियाँ भेजना ।
v. सार्वजनिक स्थानों/बाज़ारों को तिरंग रंगों को प्रदर्शित करने के लिए तिरंगे धागों युक्त 'तिरंगा बुनाई और धागे' की गतिविधि का आयोजन करना।

II-द्वितीय चरण – (दिनांक 09 से 12 अगस्त 2025)

i - वृहद आयोजन –

(1) द्वितीय चरण में तिरंगा महोत्सव' के रूप में एक बड़ा आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक ही दिन वृहद 'तिरंगा मेला' और 'भव्य तिरंगा म्यूज़िकल कॉन्सर्ट' आयोजित किया जाना।

(2) प्रदेश स्तरीय 'तिरंगा महोत्सव' का आयोजन किसी 'प्रमुख स्थल' पर व्यापक जनभागीदारी के साथ किया जाए। कार्यक्रम का नेतृत्व माननीय राज्यपाल जी/माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। इस कार्यक्रम में स्थानीय माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों एवं खिलाड़ियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी।

(3) 'तिरंगा महोत्सव' आयोजित किए जाने वाले प्रमुख स्थल पर 'तिरंगा मेला' का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें प्रदेश सरकार के 'ग्रामीण विकास विभाग के 'स्वयं सहायता समूह' द्वारा निर्मित उत्पाद तथा 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के सहयोग से निर्मित उत्पादों 'स्थानीय उत्पादों'(ODOP), तिरंगा रंग की थीम वाली वस्तुओं (खाद्य सामग्री /परिधान /वस्त्र /श्रृंगार सामग्री आदि) की बिक्री पर केन्द्रित तिरंगा मेला (सरस मेले के समान) का आयोजन किया जाना।

(4) 'तिरंगा मेला' में 'तिरंगा प्रदर्शनी' का प्रदर्शन भी किया जाना।

(5) वेबसाइट www.harghartiranga.com पर सेल्फी अपलोड करने के लिए 'HGT सेल्फी बूथों' को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना और उचित ब्रांडिंग के

साथ सुविधा प्रदान करना।

(6) वीआईपी कार्यक्रम के दिन, व्यापक जनभागीदारी के साथ, प्रसिद्ध और स्थानीय कलाकारों द्वारा देशभक्तिपूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ भव्य 'तिरंगा संगीत कार्यक्रम 'का आयोजन किया जाना।

ii- प्रदेश के गृह विभाग /पुलिसकर्मियों, अर्धसैनिकबलों, एन0सी0 सी0, एन0एस0एस0, सिवल डिफैन्स, होमगार्ड्स एवं खेल विभाग आदि के सहयोग से 'तिरंगा बाइक रैली और/या तिरंगा साइकिल रैली' का आयोजन किया जाना।

iii - तिरंगा रैलियाँ/यात्राएँ: वृहद तिरंगे कपड़े के साथ तिरंगा रैलियों /यात्राओं का आयोजन किया जाना। ये आयोजन सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों ब्लॉकों और पंचायतों में आयोजित किए जाएँगे जिनमें स्कूली बच्चों, युवाओं और समाज के सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। इस हेतु रिकॉर्ड बनाने के प्रयास किए जाएं।

iv - तिरंगा और उससे सम्बन्धित वस्तुओं आदि की बिक्री को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करते हुए स्थानीय बाज़ारों में सौंदर्यपरक तिरंगा प्रकाश और सजावट किया जाना।

v- प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों, पी0डी0एस0 दुकानों, खादी भंडारों और स्थानीय बाज़ार के वस्त्रालयों आदि के माध्यम से तिरंगा की बिक्री और वितरण का प्रबंधन किया जाना।

vi- सूचना विभाग के माध्यम से समस्त विभिन्न प्रकार के माध्यमों से प्रचार-प्रसार की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

III - तृतीय चरण (दिनांक 13-15 अगस्त 2025)

दिनांक 13 से 15 अगस्त 2025 के मध्य सभी शासकीय भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, होटलों, कार्यालयों, बाँधों, पुलों आदि पर ध्वजारोहण समारोह और तिरंगा प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नागरिकगण को तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उसे वेबसाइट www.harghartiranga.com पर अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ।

5. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त निर्देशानुसार व्यापक जनसहभागिता से 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

Digitally signed by
SHASHI PRAKASH GOYAL
Date: 01-08-2025
18:48:09

(एस.पी. गोयल)
मुख्य सचिव।

संख्या-276/2025/ जी0आई0-24 /चार-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 25 जुलाई, 2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

5. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

Digitally signed by
MUKESH KUMAR MESHRAM
Date: 01-08-2025 19:19:26

(मुकेश कुमार मेश्राम)

प्रमुख सचिव

संलग्नक-

झण्डा तैयार करने हेतु निर्देश

1-झण्डे का आकार आयताकार होना चाहिए।

2- इसकी लम्बाई एवं चैड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि झण्डे की लम्बाई 3 फीट हो तो चैड़ाई 2 फीट होनी चाहिए।

3- झण्डा बनाने की सामग्री खादी अथवा हाथ से कता हुआ कपड़ा, मशीन से बना हुआ कपड़ा/सूती/पॉलीस्टर/ऊनी/सिल्क आदि से बना होना चाहिए।

4- झण्डे में तीन रंगों केसरिया, सफेद तथा हरे रंग का प्रयोग किया जाना चाहिये।

5- सफेद पट्टी में 24 तीलियों वाले अशोक चक्र को बाद में प्रिन्ट किया जाना चाहिए।

संलग्नक-

झण्डा फहराने के नियम

1- प्रत्येक नागरिक को अपने आवास/स्कूल तथा सरकारी कार्यालयों में झण्डा सम्मान के साथ झण्डा संहिता का अनुपालन करते हुए फहराना/ लगाना है।

2- झण्डा फहराते समय सदैव केसरिया रंग की पट्टी झण्डे के ऊपर तरफ होनी चाहिए।

3- झण्डे को यदि सरकारी अवसर पर फहराया जाता है तो सूर्योदय के उपरान्त ध्वजारोहण किया जाना चाहिये तथा सूर्यास्त के साथ सम्मान के साथ उतारना चाहिए।

4- दिनांक 11 से 17 अगस्त, 2022 तक निजी आवासों एवं प्रतिष्ठानों पर लगाये जाने वाले झण्डों को उसके बाद आदर भाव के साथ उतार कर रखा जाये।

5- झण्डा उतारने के बाद किसी के भी द्वारा फेंका नहीं जायेगा उसे सम्मान के साथ फोल्ड करके रखा जाना चाहिए।

6- विशेष परिस्थितियों में झण्डा रात्रि में फहराया जा सकता है।

7- किसी के घर पर झण्डा विधिवत् तरीके पर लगाया जाना चाहिए। आधा झुका, फटा या कटा झण्डा लगाया जाना निषेध होगा।